

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

दीनाराम बनाम छोटूराम

दिनांक 11.10.2022

वादी/अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर राजस्व लिपिक द्वारा जॉच रिपोर्ट ली जाकर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलवाना नोटिस अन्दर सात दिवस में पेश करें, अदम अनुपालना आदेश (वादी/अधिवक्ता द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलवाना पेश नहीं करने के संबंध में विधिपूर्वक समुचित कारण सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा हेतु शिथिलता दिये जाने की अवधि को छोड़ते हुये) दर्ज वादपत्र काबिले खारिज होगा। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. डाक से सशुल्क तलवाना नोटिस जारी होकर पत्रावली अज अदालतेमाल के समक्ष वकालतान्/असालतन पक्ष रखने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.12.2022 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

13/12/22
अ. दीनाराम

अ. दीनाराम


13/12/22

आप पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण एवं स्वयं वादीगण उपस्थित जार्ये। वादीगण ने प्रा.पत्र बाबत विज्ञा किया जैसे वाद पेश किया। वादीगण ने अपनी सहमति स्वरूप स्वरूप हस्ताक्षर किये जिनकी पल्लवान वकीलजी सुरेश चन्द थादव ने की। प्रा.पत्र पर सुना गया। स्वीकार किया जाता है। अतः वादी के वाद को सिद्ध कर नौर प्रेस में खारिज किया जाता है। प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही इसी स्तर पर झोप की जाती है। पत्रावली

शामलीलाल

अ. दीनाराम

जैसा बुझार होकर नम्बर से कम हो। बाद सक्रीय जमा
जिला लेख भण्डार ही। प्रा.पत्र शामिल फावली रहे। मुद्रा
गया।



सहायक सेक्टर
मुद्रापर (अलपर) राज